न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज0)

फर्द अहकाम

मुकेश बनाम रामकुरी व अन्य वगेरहा

प्रार्थना पत्र संख्या......01......./2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
04.01.2021	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील महेश शर्मा नयाबास पेश किया गया। वकील प्रार्थी को इकतरफा सुना गया। प्रस्तुत प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अपने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी के अधिकार सहित निहित हक खातेदारी व कब्जे काश्त के उपयोग उपभोग में बाधा दखल करते हुए अप्रार्थीगण विवादित भूमि में वर्तमान कब्जे, मौके में परिवर्तन कराने तथा सडक के लगवा भूमि वादग्रस्त में मौके पर तारबन्दी, पेडो की कटाई सहित कब्जा करने एवं प्रार्थी को मौके के कब्जे से बेदखल स्वयं जुताई व बुवाई करना चाहते हैं। प्रार्थी के विवादित भूमि अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। उपरोक्त कथनों सहित अपनी बहस में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया है। हमने प्रस्तुत प्रा0 पत्र, शपथ पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी के कथनों पर मनन किया। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः उभय पक्षों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम बालकिशनपुरा में खसरा नं0 142 रकबा 0.8800 हैक्टेयर एवं ग्राम लांगडियावास में खसरा नं0 329 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, खसरा नं0 337 रकबा 2.3900 हैक्टेयर विवादित भूमि का बैचान, अंतरण व हस्तांतरण नहीं करावे तथा वर्तमान कब्जे, मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे तथा प्रार्थी के पैतृक वंशानुगत हक कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा दखल नहीं करे। उक्त कार्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं ही करे एवं अन्य किसी से ना करावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो, स्टे आदेश की प्रति तहसीलदार व संबंधित थानाधिकारी को पालनार्थ भेजा जावे एवं तलबी अप्रार्थीगण की जारी होकर पत्रावली दिनांक 25.02.2021 को पेश हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
25/2/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0 पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते जवाब दिनांक 17/5/21 को पेश हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
17/5/21	पत्रावली पेश हुई। कोरोना के कारण पेश नहीं हो सकी... पत्रावली पेश की गई। पूर्वानुसार कार्यवाही दिनांक 23/8/21 को पेश हो।

Regd. AD 24-32 5/1/2021

24/8/21 23 का अवकाश होने से
पत्रावली पेश हुई [illegible]
चुनाव कार्य में व्यस्त
प्रस्तुत पेश की गई। पूर्वानुसार पत्रावली
दिनांक 8/12/21 को पेश हो।

8/12/21 पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प भैंसावा/जमवारामगढ़ में पेश हुई। उभय पक्षों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/3/22 को पेश हो।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

24/3/22 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा हड़ताल/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/6/22 पेश हो।

28/6/22 पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा हड़ताल/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/7/22 पेश हो।

मुकेश मीणा

7/7/22 पत्रावली मुस्तगिस में विड्रा का प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। मुस्तगिस को विड्रा कर खारिज किया गया है। केस उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र 212 RT Act को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

RT मुकेश

गवाह
रामचन्द्र शर्मा

7/7/22
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़